

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 52/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002
इण्डिया शेल्टर फाइनैस कारपोरेशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय - 6th फ्लोर, प्लाट नं. 15,
इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-14, गुरुग्राम, शाखा कार्यालय - सीकर (राज.)

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. कविता पत्नी रामपाल कुमावत, पता-बढाढर, सीकर, जिला-सीकर (राज.) 332315
2. रामपाल पुत्र भगवाना राम, , पता-बढाढर, सीकर, जिला-सीकर (राज.) 332315

-अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of
financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांक: 14.10.24...

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः कविता पत्नी रामपाल कुमावत एवं रामपाल पुत्र भगवाना राम की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी रामपाल पुत्र भगवाना राम के स्वामित्व की बंधक आवासीय सम्पत्ति भूमि एवं भवन वार्ड नं. 4, ग्राम पंचायत बढाढर, पंचायत समिति धोद, राजपूतों का मोहल्ला, जिला सीकर (राज.) में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 201.81 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं-पूरब दिशा में मकान ज्ञानाराम, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में मकान मोटाराम एवं दक्षिण दिशा में मकान रामपाल सिंह राजपूत है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल 6,50,762.40/- रुपये (अक्षरे रुपये छः लाख पचास हजार सात सौ बासठ रुपये चालीस पैसे) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 10.11.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।




मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **10.11.2022** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन प्रार्थी की फोटो प्रति वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **कविता पत्नी रामपाल कुमावत एवं रामपाल पुत्र भगवाना राम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **रामपाल पुत्र भगवाना राम** के स्वामित्व की बंधक **आवासीय सम्पत्ति भूमि एवं भवन वार्ड नं. 4, ग्राम पंचायत बढाढर, पंचायत समिति धोद, राजपूतों का मोहल्ला, जिला सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 201.81 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं—पूरब दिशा में मकान ज्ञानाराम, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में मकान मोटाराम एवं दक्षिण दिशा में मकान रामपाल सिंह राजपूत है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का रथगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
6. आदेश आज दिनांक **14.10.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 (मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर